प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर, थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....03/2023.....दिनांक.....5/1/2023.....

2. (I) अधिनियम ... धारायें:—. 7 पी0सी0 (संशोधित) एक्ट 2018 व 120 बी भादस
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....88..... समय .....6:45 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार.....मंगलवार.....दिनांक 03.01.2023 समय 03.45 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.11.2022

4. सूचना की किस्म :— लिखित/मौखिक— लिखित

5. घटनास्थल :— सवाई माधोपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— बजानिब दक्षिण पूर्व दिशा में करीब 170 कि0मी0
(ब) पता कार्यालय एक्सईएन तथा कार्यालय एईएन पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर।
.....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना.....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नामः— **श्री अशोक कुमार चौधरी .....**
(ब) पिता/पति का नामः— श्री हरिराम चौधरी
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....**उम्र 43 साल**.....
(द) राष्ट्रीयताः— **भारतीय**
(य) पासपोर्ट संख्याः— जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसायः—ठेकेदारी
(ल) पताः— ई 3/145, चित्रकुट, वैशाली नगर, जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : —
1. श्री ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवल राम, जाति मीणा, उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं0 6 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर।
2. श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मंगलराम, जाति मीणा उम्र 58 साल निवासी प्लाट नं0 22 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 45,000/— रूपये
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 45,000/— रूपये**
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):—

दिनांक 28.11.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री अशोक कुमार चौधरी पुत्र श्री हरिराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 43 साल निवासी ई 3/145, चित्रकुट, वैशाली नगर, जयपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईडब्लू, भ्रनिब्यूरो जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा टाईप करवाया गया है व मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मैं अशोक कुमार चौधरी पुत्र श्री हरिराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 43 साल निवासी ई 3/145, चित्रकुट, वैशाली नगर, जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर में बी श्रेणी का ठेकेदार हूँ। पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 2021—22 में सर्किट हाउस, सवाई माधोपुर मे दो कमरों के निर्माण एंव मरम्मत कार्य का टेण्डर निकाला था जिसमें मैनें भाग लिया था, जिसपर मेरी फर्म मैसर्स अशोक कुमार चौधरी कन्सट्रक्शन कम्पनी को उक्त कार्य का 54 लाख रूपये का कार्यादेश मिला था। मैने निर्धारित समय में उक्त कार्य पूर्ण कर दिया। मेरे उक्त कार्य का करीब 09.48 लाख रूपये का बिल बकाया है। उक्त कार्य के बिल बनाने व पास करने के एवज में श्री मुरारी लाल, एईएन व श्री ओमप्रकाश मीणा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर दोनों मुझसे 50,000—50,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उक्त दोनों श्री मुरारी लाल, एईएन व श्री

ओमप्रकाश मीणा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। उक्त श्री मुरारी लाल, एईएन व श्री ओमप्रकाश मीणा, एक्सईएन से मेरा पूर्व का उधार या अन्य किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है और ना ही मेरी उनसे कोई रंजिश है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री गिरधारी लाल कानि 298 का परिवादी से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। परिवादी श्री अशोक कुमार ने बताया कि आज सवाईमाधौपुर पहुचने पर कार्यालय समय समाप्त होने के कारण आरोपीगण से वार्ता नही हो सकती इसलिए मै आरोपीगणो से वार्ता करने कल दिनांक 29.11.2022 को जांऊगा। दिनांक 29.11.2022 को मन उप अधीक्षक द्वारा श्री गिरधारी लाल कानि. 298 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु आवश्यक हिदायत की जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दोपहर 2.00 बजे श्री गिरधारी लाल कानि. 298 ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं परिवादी से मिला उसके बाद हम दोनों जयपुर से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पहुंचे। तत्पश्चात हम वहां से संदिग्ध आरोपीगणों के कार्यालय पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया जिसे मैने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री गिरधारी लाल कानि. की बातों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि मैं व श्री गिरधारी लाल कानि. पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री गिरधारी लाल कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै संदिग्ध आरोपी श्री मुरारी लाल के कार्यालय के अन्दर गया तो संदिग्ध आरोपी मुझे वहां पर मौजूद मिला वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे टेन्डर व पैण्डिग बिलों के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मुझसे मेरे बकाया बिल पास करने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। आरोपी रिश्वत राशि दिये जाने हेतु मुझ पर दबाव बना रहा था उसको शक नहीं हो इसलिए मैने वार्ता के दौरान उसको उक्त 15 हजार रूपये दे दिये हैं। आरोपी ने बकाया 05 हजार रूपये रिश्वत राशि की और मांग की है एवं कहा है कि मैं बकाया 05 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं दुंगा तब तक वह मेरे बिलों को पास नहीं करेगा। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। आरोपी श्री ओमप्रकाश एक्सईएन के कार्यालय में नही होने के कारण उससे वार्ता नही हो सकी। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं श्री गिरधारी लाल कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित लेकर कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात 9.00 पीएम पर श्री गिरधारी लाल कानि. एवं परिवादी ब्यूरो कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री गिरधारी लाल कानि ने मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित वापस देते हुये पूर्व में बताये गये तथ्यों की ताईद की जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने भी पूर्व में बताये तथ्यों की ताईद की। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी ने अवगत कराया कि सवाई माधोपुर में भारत जोडो यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है जिसमे समस्त अधिकारी/कर्मचारीयो के व्यस्त होने से संदिग्ध आरोपी की कार्यालय में अब मिलने की संभावना कम है। इसलिए भारत जोडो यात्रा समाप्त होने पर मैं आपसे सम्पर्क कर लूंगा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया।

दिनांक 18.12.2022 को परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि कल दिनांक 19.12.2022 को संदिग्ध अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेगा तो मै मेरे टेन्डर व पैण्डिग बिलों के बारे में वार्ता करने उसके पास जाउंगा। जिसपर दिनांक 19.12.2022 को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री गिरधारी लाल कानि. 298 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु आवश्यक हिदायत की जाकर कार्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री गिरधारी लाल कानि. ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं परिवादी से मिला उसके बाद हम दोनों जयपुर से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पहुंचे। तत्पश्चात हम वहां से संदिग्ध आरोपी के कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश एक्सईएन के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया जिसे मैने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री गिरधारी लाल कानि. की बातों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि मैं व श्री गिरधारी लाल कानि. कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री गिरधारी लाल कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश एक्सईएन के पास उसके

कार्यालय के अन्दर गया तो संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश एक्सईएन मुझे वहां पर मौजूद मिला वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे कार्य व पैण्डिग बिलों के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने मुझसे मेरे बकाया बिल को पास करने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। आरोपी रिश्वत राशि दिये जाने हेतु मुझ पर दबाव बना रहा था उसको शक नहीं हो इसलिए मैने वार्ता के दौरान उसको 10 हजार रूपये दे दिये हैं। आरोपी ने बकाया 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की और मांग की है एवं कहा है कि मैं बकाया 40 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं दुंगा तब तक वह मेरे बिलों को पास नहीं करेगा। मेरे और संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश एक्सईएन के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं श्री गिरधारी लाल कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित लेकर कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद सांय 7.00 बजे श्री गिरधारी लाल कानि. एवं परिवादी ब्यूरो कार्यालय मे मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री गिरधारी लाल कानि ने मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित वापस देते हुये पूर्व में बताये गये तथ्यों की ताईद की जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने भी पूर्व में बताये तथ्यों की ताईद की। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्वयं की कार्यालय आलमारी में रखा गया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं रिश्वती राशि की व्यवस्था कर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 02.01.2023 को परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि मैंने संदिग्ध आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि 45000/ रू की व्यवस्था कर ली है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार, सूचना सहायक कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन व मुंद्राक जयपुर–अष्टम, कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर व श्री नवरत्न सिंह पंवार, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन व मुंद्राक जयपुर–अष्टम, कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर को तलब किया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से परिचय करवाया गया। उस दिन कार्यालय समय समाप्त होने के कारण संदिग्ध आरोपीगणों के कार्यालय में उपस्थित नहीं मिलने की सम्भावना के कारण अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.01.2023 को किया जाना निश्चित किया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टॉफ को दिनांक 03.01.023 को प्रातः 07.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 03.01.2023 को प्रातः परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दिनांक 29.11.2022 व 19.12.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को कम्प्यूटर की सहायता से परिवादी व स्वतंत्र गवाहों को सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से पांच सीडियां तैयार की जाकर, चार सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व मैमोरी कार्डों को भी सील्ड मोहर किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट व सीडियों पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात प्रातः 9.00 बजे स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी को संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के कुल 90 नोट भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 45,000/–रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त सभी नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 45,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री लक्ष्मीनारायण कानि नं. 258 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी की जामा तलाशी गवाह श्री नवरत्न सिंह पंवार से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 45,000/–रू0 के नोट मे से कम संख्या 01 से 80 कुल 40 हजार रूपये सीधे ही श्री लक्ष्मीनारायण कानि से परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में आरोपी श्री ओम प्रकाश मीणा एक्सईएन को देने के लिए एव कम संख्या 81 से 90 कुल 5000 रूपये आरोपी श्री मुरारी लाल, एईएन को देने के लिए परिवादी की पहनी हुई शर्ट की बायीं जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री लक्ष्मीनारायण कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर

धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री लक्ष्मीनारायण कानि से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री लक्ष्मीनारायण कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपीगण से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपीगण से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री गिरधारी लाल कानि. 298 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपीगण के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात प्रातः 10.00 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर करीब 2.30 बजे जिला कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर के पास पहुंच जहां गोपनीय रूप से मालूमात करवाने पर संदिग्ध आरोपी श्री मुरारीलाल सहायक अभियंता के अभी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के सम्बंध में ज्ञात हुआ। चूंकि दोनों आरोपीगणों के कार्यालय अलग–अलग स्थानों पर करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इसलिए दो टीमों का गठन किया गया जिसमें एक टीम मन उप अधीक्षक पुलिस के नेतृत्व में मय श्री सुरेश कुमार स्वतंत्र गवाह तथा दूसरी टीम श्रीमति मीना वर्मा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में मय श्री नवरत्न सिंह पंवार स्वतंत्र गवाह के गठित की गई। मन उप अधीक्षक मय टीम आरोपी श्री ओम प्रकाश अधिशाषी अभियंता के लिए व दूसरी टीम आरोपी श्री मुरारी लाल सहायक अभियंता के लिए मामूर की गई। श्रीमति मीना वर्मा मय टीम को निर्देशित किया गया कि परिवादी जब आरोपी श्री ओम प्रकाश अधिशाषी अभियंता के पास जाने हेतु रवाना हो उस वक्त आप रवाना होकर आरोपी श्री मुरारी लाल सहायक अभियंता के कार्यालय के पास पहुंचकर गोपनीय रूप से मुकीम रहें जैसे ही परिवादी अधिशाषी अभियंता कार्यालय से आरोपी मुरारी लाल सहायक अभियंता के कार्यालय के लिए रवाना होगा उस वक्त जरिये फोन अवगत करवा दिया जायेगा, परिवादी पर गोपनीय रूप से नजर रखें तथा परिवादी द्वारा आरोपी श्री मुरारी लाल को रिश्वत राशि दिये जाने पर आरोपी मुरारीलाल को यथा स्थिति हमराह लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आयें।

उसके बाद दोपहर 3.35 बजे गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध आरोपी श्री ओमप्रकाश अधिशाषी अभियंता अपने कार्यालय में उपस्थित है तथा दूसरा आरोपी श्री मुरीलाल मीना सहायक अभियंता भी अपने कार्यालय में उपस्थित आ चुका है। जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हमराह स्वतंत्र गवाहान व टीम को गाडी से नीचे उतरवाकर, कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। दूसरी टीम श्रीमति मीना वर्मा पुलिस निरीक्षक मय टीम को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया गया।

तत्पश्चात दोपहर 3.45 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुरेश कुमार स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर सवाई माधोपुर स्थित कार्यालय अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सवाई मधोपुर से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करते हुए दुसरे आरोपी श्री मुरारी लाल, सहायक अभियंता को रिश्वत राशि देने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुआ, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने पूर्व से निर्धारित दुसरी टीम श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक को जरिये फोन परिवादी के आरोपी श्री मुरारी लाल मीना के पास उसके कार्यालय सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के लिए अधिशाषी अभियंता कार्यालय से रवाना होने के सम्बंध में सूचित कर आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुरेश कुमार स्वतंत्र गवाह व हमराह जाप्ता के आरोपी श्री ओम प्रकाश मीणा अधिशाषी अभियंता के कार्यालय कक्ष के बाहर आरोपी पर गोपनीय रूप से निगरानी रखते हुए मुकीम हुए। तत्पश्चात सांय 4.20 बजे श्रीमती मीना वर्मा पुलिस निरीक्षक मय श्री नवरत्न सिंह पंवार स्वतंत्र गवाह व हमराही जाप्ता एवं आरोपी श्री मुरारीलाल मीना सहायक अभियंता के मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आये तथा अवगत करवाया कि आपके निर्देशानुसार मैं स्वतंत्र गवाह श्री नवरत्न सिंह पवांर मय जाप्ता के कार्यालय सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के आस पास गोपनीय रूप से मुकीम थी, आपके जरिये फोन बतायेनुसार परिवादी अधिशाषी अभियंता कार्यालय से रवाना होकर सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंच गया था, जहां आरोपी के पास उसके कार्यालय कक्ष में गया तत्पश्चात कुछ देर

बाद परिवादी ने कार्यालय सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री नवरत्न सिंह पंवार स्वतंत्र गवाह व हमराही जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंची तथा परिवादी ने साथ–साथ उक्त सहायक अभियंता कार्यालय कक्ष के अन्दर प्रवेश करते हुए सामने कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यह ही श्री मुरारीलाल मीना सहायक अभियंता हैं जिन्होंने अभी मुझसे मेरा बकाया बिल बनाकर उसका भुगतान करवाने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 5,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे रूपये लेकर इनके पहने हुए कोट की अन्दर वाली बायीं साईड की जेब में रखे हैं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री नवरत्न सिंह पंवार गवाह व हमराही जाप्ते ने कार्यालय कक्ष में बैठे हुए उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व स्वतन्त्र गवाह तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री मुरारीलाल मीना सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर होना बताया। जिसपर मन पुलिस निरीक्षक आरोपी को यथा स्थिति हमराह लेकर मय परिवादी, स्वतंत्र गवाह व जाप्ते के वहां से रवाना होकर यहां आपके समक्ष उपस्थित आयी हूं। तत्पश्चात परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित कब्जा लिया गया। उसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व हमराही जाप्ता के आरोपी श्री मुरारीलाल मीना सहायक अभियंता को साथ लेकर आरोपी अधिशाषी अभियंता के कार्यालय कक्ष में प्रवेश करने पर परिवादी ने साथ–साथ उक्त कार्यालय कक्ष में प्रवेश करते हुए सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह ही श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले मुझसे मेरे बकाया बिल को पास करने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 40,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे रूपये लेकर इनके पहने हुए कोट की अन्दर वाली बायीं साईड की जेब में रखे हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने कार्यालय कक्ष में बैठे उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना एक्सईएन से पूछा कि आपने अभी कुछ देर पहले इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी कुछ देर पहले ये अशोक कुमार चौधरी मेरे पास आये थे, कुछ दिन पहले इसने मुझसे 40 हजार रूपये उधार लिए थे वह 40 हजार रूपये मुझे वापस करके गया था जो मैने मेरे कोट की जेब में रखे हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मैने सर्किट हाउस सवाई माधोपुर में कमरे निर्माण व मरम्मत का कार्य किया था जिसका करीब 9.48 लाख रूपये का बिल बकाया था, उक्त श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अधिकारी मेरे बिल का भुगतान करने की एवज में मुझसे 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे जिसमें से 10 हजार रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 19.12.2022 को मुझसे ले लिए थे व 40 हजार रूपये रिश्वत के रूप में और मांग की थी, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 40,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री ओम प्रकाश मीना ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवल राम, जाति मीणा उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं0 6 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर है।

तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री मुरारीलाल मीना एईएन से पूछा कि आपने अभी कुछ देर पहले इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी कुछ देर पहले ये अशोक कुमार चौधरी मेरे पास मेरे कार्यालय में आये थे, इन्होंने मुझे 5 हजार रूपये दिये थे जो मेरे कोट की जेब में रखे हैं मैने इनसे कोई मांग नहीं की यह खुद ही मेरे पास आये थे और कहा कि यह 5 हजार रूपये लो तो मैने लेकर अपने कोट की जेब में रख लिए थे। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी श्री मुरारी लाल मीना की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मैने सर्किट हाउस सवाई माधोपुर में कमरे निर्माण व मरम्मत का कार्य किया था जिसका करीब 9.48 लाख रूपये का बिल बकाया था, उक्त श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता मेरा बिल बनाने व उसका भुगतान करवाने की एवज में मुझसे 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे जिसमें से 30 हजार रूपये दिनांक 15.11.2022 को फोन पे के जरिये लिए थे व 15 हजार रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 29.11.2022 को मुझसे ले लिए थे व 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में और मांग की थी, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 5,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री मुरारी लाल मीना ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मंगलराम, जाति मीणा उम्र 58 साल निवासी प्लाट नं0 22 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर है।

इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री ओम प्रकाश मीना को दिखाकर धोवन को

दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री ओम प्रकाश मीना के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री ओम प्रकाश मीना को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री सुरेश कुमार से आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना की तलाशी लिवाई गई तो उसके द्वारा पहने हुए कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब में 40,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500–500 रूपये के 80 नोट, कुल 40,000 रू0 होना बताया।

दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 40,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 40,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के पहने हुए कोट को निकलवाया जाकर कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री ओम प्रकाश मीना के कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री ओम प्रकाश मीना को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क जे–1 व जे–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तथा श्री ओम प्रकाश मीना के कोट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त कोट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–जे अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।

इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पुनः एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री मुरारी लाल मीना को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनो गवाहान व श्री मुरारी लाल मीना को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री नवरत्न सिंह पंवार से आरोपी श्री मुरारी लाल मीना की तलाशी लिवाई गई तो उसके द्वारा पहने हुए कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब में 5,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500–500 रूपये के 10 नोट, कुल 5,000 रू0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 5,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 5,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री मुरारी लाल मीना के पहने हुए कोट को निकलवाया जाकर कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री मुरारी लाल मीना के कोट की बायीं साईड की अन्दर वाली जेब जिसमें रिश्वत राशि रखी हुई थी उस जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री मुरारी लाल मीना को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क के–1 व के–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तथा श्री मुरारी लाल मीना के कोट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त कोट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–के अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक् से तैयार

की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उक्त अधिशाषी अभियंता कार्यालय में भीड भाड होने व अव्यवस्था के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रैपशुदा आरोपी श्री ओम प्रकाश अधिशाषी अभियंता एवं श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता मय परिवादी हमराही जाप्ता, ट्रैप बोक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व जब्तशुदा आर्टिकल्स के वहां से रवाना होकर कार्यालय भ्र नि ब्यूरो सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवल राम, जाति मीणा, उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं0 6 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर व श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मंगलराम, जाति मीणा उम्र 58 साल निवासी प्लाट नं0 22 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 व 120 बी भादस का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपीगणों के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 03.01.2023 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय लैपटॉप की सहायता से सुना गया तथा हस्बकायदा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु पांच खाली सीडियां मंगवायी जाकर पाचों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी लैपटॉप की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की पांच अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा चार सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपीगण श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर व श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा जरिये कार्यादेश सर्किट हाउस सवाई माधोपुर में किये गये निर्माण व मरम्मत कार्य के बकाया बिल बनाने व भुगतान करने की एवज में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.11.2022 व 19.12.2022 के अनुसार आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता द्वारा 50 हजार व आरोपी श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने व मांग सत्यापन के दौरान ही उसमें से आरोपी श्री ओम प्रकाश द्वारा 10 हजार व आरोपी श्री मुरारी लाल द्वारा परिवादी से 15 हजार रूपये प्राप्त करने तथा दिनांक 03.01.2023 को आरोपी श्री ओम प्रकाश मीना अधिशाषी अभियंता द्वारा परिवादी से 40,000 व आरोपी श्री मुरारी लाल मीना सहायक अभियंता द्वारा परिवादी से 5,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथों पकड़े जाने से आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी 1. श्री ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवल राम, जाति मीणा उम्र 57 साल निवासी वार्ड नं0 6 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर व 2. श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मंगलराम, जाति मीणा उम्र 58 साल निवासी प्लाट नं0 22 मीणा कॉलोनी बजरिया पुलिस थाना मान टाउन सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सवाई माधोपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)
उप अधीक्षक पुलिस
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री सांवल राम, अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर एवं 2. श्री मुरारी लाल मीना पुत्र श्री मंगलराम, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी, सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 03/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

5.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 23-26 दिनांक 5.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

5.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।